न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, हरदोई

सत्र परीक्षण सं0–302/17

सरकार......................बनाम....................जोगेन्द्र आदि।

आरोप

मैं, राजेश कुमार–V अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 हरदोई आप अभियुक्तगण–**जोगेन्द्र, प्रकाश, विनय कुमार उर्फ मिन्ने, कल्लू, जन्त्री, संदीप, विनोद एवं लालबाबू** को निम्नवत आरोपित करता हूँ :–

यह कि दिनांक 12.05.17 को समय 17–00 बजे शाम स्थान वहद ग्राम वहद ग्राम तेरवा थाना अतरौली जिला हरदोई में आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा रोहित के विरूद्ध विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा रोहित के विरूद्ध घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी रोहित कुमार के पिता देशराज के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया जिससे उसके पिता देशराज की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 302/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा उपरोक्त के घर में अवैध रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 452 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में रामपाल के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जो उसके दाहिनी हाथ में लगी। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 307 सपठित धारा–34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण उपरोक्त आरोप के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(राजेश कुमार–V)

दिनांकः 08.02.2018 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0

हरदोई।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

(राजेश कुमार–V)

दिनांकः 08.02.2018 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0

हरदोई।